राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.1(2)गृह–9/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांकः– 28 SEP 2022

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी नं. 4035
दिनांक 30/9/22

–:परिपत्रः–

विषयः– आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के सम्बध में मार्गदर्शन बाबत्।

आयुध अधिनियम, 1959 तहत टोपीदार बन्दूक (मजल लोडिंग गन) के अनुज्ञापत्र तथा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के सम्बध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मार्गदर्शन चाहे जा रहे है, इस सम्बध में निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. टोपीदार बन्दूक (मजल लोडिंग गन) के लिए आर्म्स लाईसेंस की आवश्यकता के सम्बध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 27–06–2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है।
2. विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1–1(115)गृह–9/84 दिनांक 13–03–1995 को जारी किया गया था। उस समय शासन के ध्यान में लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में बहुत संख्या में कई व्यक्तियों के पास बिना लाईसेंस के टोपीदार बन्दूक है और कई शस्त्र अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने टोपीदार बन्दूक के अनुज्ञापत्र का लम्बे समय से नवीनीकरण नही कराया गया है इस कारण उनके विरूद्व आयुध अधिनियम के तहत मुकदमें दर्ज हो गये है। उस समय विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सम्बधित पुलिस थानों पर स्पेशल केम्प लगाकर जिन व्यक्तियों के पास टोपीदार बन्दूक है परन्तु अनुज्ञापत्र नही है, उनको अनुज्ञापत्र जारी किया जावे और जिन्होने टोपीदार बन्दूक के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नही कराया है, उनके अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जावें, के निर्देश प्रदान किये गये थे।
3. परिपत्र दिनांक 13–03–1995 के पश्चात कई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था कि उनके कार्यालय में टोपीदार बन्दूक के आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया जावें अथवा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जावें, जिसके कम में विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1–1(115)गृह–9/84 दिनांक 21–04–1995 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि टोपीदार बन्दूक के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी नही की जावें और टोपीदार बन्दूक के अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया जावें।

30/IX/22

Ritu

4. परिपत्र दिनांक 21–04–1995 के क्रम में विभाग के पत्र क्रमांक प.1(179)गृह–9/95 दिनांक 06–01–1996 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि जिन प्रकरणों में किसी व्यक्ति ने टोपीदार बन्दूक का प्रयोग कोई अपराध कारित करने के उद्देश्य से किया हो तो ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट अवश्य नियमानुसार प्रकरण का अध्ययन कर अभियोजन स्वीकृति दे सकते है।
5. परिपत्र क्रमांक प.1–1(115)गृह–9/84 दिनांक 13–03–1995 एवं दिनांक 21–04–1995 वर्तमान में अप्रचलित (outdated) है क्योकि तत्कालीन समय के लिए ही केम्प लगाकर टोपीदार बन्दूक के लाईसेंस जारी करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे और वर्तमान में केम्प लगाकर टोपीदार बन्दूक के अनुज्ञापत्र जारी करने के निर्देश प्रदत्त नही है। वर्तमान में सम्बधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा केवल परिपत्र दिनांक 21–04–1995 के आधार पर ही आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए मना करना विधि संगत नही है।
6. कोई व्यक्ति बिना लाईसेंस के टोपीदार बन्दूक रखता है तो उसका कृत्य धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय है।
7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नही करने के निर्णय को अनुसंधान में प्राप्त अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर रिव्यु किया जा सकता है।

आज्ञा से,

—Sd—

(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, जयपुर, राजस्थान।
2. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेटस्, राजस्थान।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, राजस्थान।
5. शासिन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारीक)

उप शासन सचिव, गृह